14.3.2022 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस मजीद सुनी गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

नामान्तकरण अपील संख्या – 03/2017

अपीलान्ट – प्रेमाराम पुत्र मल्लाराम जाति विश्नोई निवासी चकढाणी तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

बनाम

रेस्पोडेन्टगण– 1. ग्राम पंचायत राजोद, पंचायत समिति डेगाना।

2. भंवरलाल पुत्र मल्लाराम

3. रामस्वरूप पुत्र मल्लाराम

4. भागवती पुत्री मल्लाराम

5. गंगादेवी पत्नि मल्लाराम जातियान विश्नोई निवासीगण चकढाणी तहसील डेगाना जिला नागौर राज.

नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता अपीलान्ट –श्री हरीराम चौधरी

दिनांक 14.03.2022

–:: आदेश ::–

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता नामान्तकरण**अपील** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम राजोद की जमीन खसरा नंबर 483 रकबा 1.31 है0, खसरा नंबर 624 रकबा 0.93 है0 आयी हुई है। उक्त जमीन अपीलान्ट के पिता मल्लाराम ने खातेदार सायरी पत्नी हजारी व हजारी पुत्र रामसुख विश्नोई निवासी पोलास से दिनांक 4.8.1998 को क्रय की, जिस बैचान रजिस्ट्री में पुराने खसरा नंबर 554 व 628 दर्ज है जिसकी फोटो प्रति साथ में पेश है। खसरा नंबर 483 व 624 की जमीन अपीलान्ट के पिता की क्रयसुदा निजि सम्पति है। अपीलान्ट के पिता मल्लाराम पुत्र हमीरराम ने उक्त खसरा नंबर 483, 624 की जमीन अपीलान्ट को वसीयत कर दी जो वसियतनामा दिनांक 24.11.2015 को स्टॉम्प खरीद कर टाईप करवा कर दो साखें हरीराम व नाथूराम की डलवाकर सरपंच से प्रमाणित करवाया व अपने अंगुठे लिये थे। अपीलान्ट के पिता का देहान्त होते ही उक्त वसीयत प्रभाव में आ गयी। उक्त वसीयत अपीलान्ट के पिता की अन्तिम वसीयत थी। उक्त वसीयतनामा के आधार पर खसरा नंबर 483 व 624 का मालिक अपीलान्ट होकर काश्त काबिज हो गया व इस जमीन पर आज दिन अपीलान्ट का काश्त कब्जा चला आ रहा है। जमीन अपीलान्ट को वसीयत करने की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 को थी। कानूनन

जमीन अपीलान्ट के पिता व रेस्पोडेन्ट 2 से 4 के पिता व 5 के पति ने अपीलान्ट को वसीयत कर दी व इस जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 5 का हक अधिकार कानूनन नहीं रहा। अपीलान्ट के पिता मल्लाराम का देहान्त हुआ तब वसीयतनामा के आधार पर अपीलान्ट के नाम से दोनो खसरान की जमीन का नामान्तकरण भरने हेतु वसीयतनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जिस पर अपीलान्ट इस भरोसे रहा की उसके नाम से नामान्तकरण भर दिया जायेगा लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर ली व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 से 5 के सम्मिलित नाम से नामान्तकरण भरवा दिया व उसे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने स्वीकृत कर दिया। जब कि कानूनन उक्त नामान्तकरण वसीयतनामा के आधार पर केवल मात्र अपीलान्ट के नाम भरा जाना चाहिये था जबकि इस जमीन पर काश्त कब्जा हक अधिकार अपीलान्ट का ही कानूनन है जिससे नामान्तकरण संख्या 74 स्वीकृति दिनांक 5.3.2017 अपने आप में ही अवैध विधि विरूद्व व काबिल निरस्त है जिसे निरस्त फरमाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त जमीन राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बाबत अदालत हाजा से जारी किया हुआ था जिसकी नकल साथ में पेश है। अपीलान्ट के हक में उसके पिता ने जो वसीयतनामा दिनांक 24.11.2015 को लिखा लिस पर मल्लाराम के अंगूठे है तथा 2 साक्षियों के हस्ताक्षर है एवं सरपंच द्वारा प्रमाणित है जो वसीयतनामा कानूनन प्रभावी वसीयतनामा है जिससे उक्त नामान्तकरण निरस्त फरमाया जाकर इन खसरान की जमीन की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जानी आवश्यक व न्यायोचित है। ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण बाबत प्रस्ताव नहीं लिया व ना ही सरपंच से सिजरा खानदान प्राप्त किया। इस जमीन पर काश्त कब्जा ही अपीलान्ट का चला आ रहा है तथा अपीलान्ट जमीन का भोग उपभोग कर रहा है तथा उक्त नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब उसने अपने अन्य कार्य हेतु खातेदारी की नकले दिनांक 10.04.2017 को हल्का पटवारी से प्राप्त की तब उसको जानकारी हुई व अपीलान्ट ने दिनांक 18.04.2017 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त की जिससे यह जानकारी के दिन से उक्त नामान्तकरण अपील अन्दर मियाद पेश है व जैर धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः नामान्तकरण अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत राजोद तहसील डेगाना द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 74 स्वीकृति दिनांक 05.03.2017 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण भरने हेतु तहसीलदार डेगाना आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट के विरूद्व बावजूद पर्याप्त सूचना के हाजिर नहीं होने के कारण दिनांक 14.11.2017 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के कथन है कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता की खरीदसुदा जमीन है तथा अपीलान्ट के पिता ने अपनी खरीदसुदा जमीन का अपीलान्ट के पक्ष में वसीयतनामा किया है। वसीयतनामा स्टॉम्प पर किया गया है तथा उस पर दो साक्ष्यों के हस्ताक्षर भी है। वसीयतनामा पर

सरपंच ग्राम पंचायत राजोद के हस्ताक्षर भी है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत राजोद के द्वारा अपीलान्ट के पिता के फौत होने पर उक्त विवादित जमीन का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत के आधार पर नहीं भरकर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया है जो गलत है। अतः ग्राम पंचायत राजोद के द्वारा भरा गया नामान्तकरण संख्या 74 स्वीकृति दिनांक 05.03.2017 को निरस्त किया जाकर वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नामान्तकरण भरे जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। विवादित जमीन का अपीलान्ट के पक्ष में किये गये वसीयतनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वसीयतनामा में एक साक्षी सरपंच ग्राम पंचायत राजोद भी है। सचिव ग्राम पंचायत राजोद से उक्त नामान्तकरण से संबंधित ग्राम पंचायत की बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति चाही गई जिस पर सचित ग्राम पंचायत ने उक्त दिनांक 05.03.2017 को ग्राम पंचायत राजोद की बैठक आयोजित नहीं होने से अवगत कराया है। इस प्रकार यह साबित होता है कि उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखे बिना ही स्वीकृत किया गया है जो कानूनन विधि विरूद्व है। इसी प्रकार उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में वसीयत होने के कारण उसे सुने बिना ही उक्त नामान्तकरण भरा जाना नियमानुकूल नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत राजोद के द्वारा राजस्व ग्राम राजोद के खसरा नंबर 483 व 624 के संबंध में भरा गया नामान्तकरण संख्या 74 स्वीकृत दिनांक 5.3.2017 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार डेगाना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 की विधिवत सुनवाई करते हुए पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)

सहायक कलक्टर